

11/23 चार्जी के वहील उपना अर्जा संख्या
 07, 08, 10 की ओर से बकालतनामा पेश
 किया। शेष अर्जागण के नोटिस तामिल
 होकर नहीं लौटे। प्रकरण में जारी अंतरिम
 अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक
 बढ़ाई जाती है। मिसल अड़िका दिनांक
 19/07/23 को पेश हो।

सहायक कमिश्नर
 (SDO), बाबनेर

16/05/23

पतावली आब उखादन गंको के संग
 अन्विधान कर्मप सुपटि। से देखा डूडी
 उपस्थित तगते आम में उर्धी एवं
 अर्जागण। के नाम कानाण लगाई गई।
 उत्पिादी। अर्जा सं 07 लामुशाम उपस्थित।
 उत्पिादी। अर्जा सं 07 हूरा पादी का
 पाद स्वीकार कर बटाटा होने तक
 अज्ञात अदेश प्रभाव रखने का
 किकेदन विषा।

शून्य अफार उद्यम हूखला मामला
 अर्जागण के पस में होने तथा अज्ञात
 अदेश न होने से विवाद की स्थिति
 पैदा होने के कारण अज्ञात ब्यापक
 करने पर अज्ञापक को अज्ञात धरि
 होने को सम्मान है।

मिहाजा अर्जागण का किकेदन सीकर
 कर दिनांक 20/07/22 को पारित अज्ञात अदेश
 पाद के निर्णय तक ककर्म किया जाता है।
 पतावली कसल अफार होकर दलिल फलर हो।

सहायक कमिश्नर
 (SDO), बाबनेर